न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 145 / 2026

अनवान : –

1. परमिन्द्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगु तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. करणजीत कौर उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भागु तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।
3. लवईन्द्र कौर पुत्री जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी भागु तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 37 / 37 के प.न. 328 / 415 मु.न. 16 के किला नं. 16 / 2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 25 / 2 की 0.2270 हैक्टर भूमि कुल 2 किता की 0. 4550 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी के पिता जगदेवसिंह के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 14 / 15 के प. न. 329 / 415 मु.न. 1 के किला नं. 16 ता 18 की 0.7590 हैक्टर भूमि 19 ता 21 की 0. 7590 हैक्टर भूमि. 22 ता 24 की 0.7590 हैक्टर भूमि, 25 की 0.2530 हैक्टर भूमि, कुल 10 किता की 2,5300 हैक्टर भूमि प.न. 329 / 419 मुन. 25 के किला नं. 11 ता 12 की 0.5060 हैक्टर भूमि 16 ता 18 की 0.7590 हेक्टर भूमि, 19 ता 20 की 0.5000 हैक्टर भूमि 24 की 0.2530 हैक्टर कुल 8 किता की 1.2650 हैक्टर भूमि बारानी व 0.7590 नहरी भूमि प.न. 330 / 415 मुन. 2 के किला नं. 16 ता 18 की 0.7590 हैक्टर, 19 ता 21 की 0.7590 हैक्टर भूमि, 22 ता 24 की 0.7590 हैक्टर, 25 की 0.2530 हैक्टर भूमि, कुल 10 किता की 2.5300 हैक्टर भूमि प.न. 330 / 416 मु.न. 11 के किला नं. 4 व 5 की 0.5060 हैक्टर प.न. 331 / 415 मु.न. 3 के किला नं. 19 ता 21 की 0.7590 हैक्टर भूमि. 22 की 0.2530 हैक्टर कुल 4 किता की 1.0120 हैक्टर भूमि प.न. 331 / 416 मु.न. 10 के किला नं. 1 व 2 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 36 किता की 7.8430 हैक्टर भूमि नहरी 1.2650 हैक्टर भूमि कुल 36 खसरेजात की 9. 1080 हैक्टर भूमि जिसमें वादी के पिता जगदेव सिंह के नाम 1 / 6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदेव सिंह के नाम दर्ज है के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है वादी के पिता जगदेव सिंह का देहान्त हो चुका है जगदेव सिंह जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादीगण ने मुताबिक बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी के पक्ष में अपना हक य हिस्सा का परित्याग कर दिया है जिससे रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 24 एन. टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। मृतक जगदेव सिंह पुत्र मेजरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त आश्यों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में वादी के दादा की वल्दियत मेजरसिंह के स्थान पर अजमेरसिंह गलत तौर से दर्ज है जिसे वादी सही तौर से मेजर सिंह दर्ज करवापाने का अधिकारी है तथा रोही मौजा चक 24 एनटी. आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में में जगदेवसिंह के स्थान पर जयदेवसिंह गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाकर जगदेवसिंह दर्ज करवापाने का अधिकारी है। वादी विरूद प्रतिवादी सं 1 सादर डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीं मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण जगदेव सिंह पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदेव सिंह के नाम दर्ज है के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है वादी के पिता जगदेव सिंह का देहान्त हो चुका है जगदेव सिंह जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादीगण ने मुताबिक बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी के पक्ष में अपना हक य हिस्सा का परित्याग कर दिया है जिससे रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 24 एन. टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की ताददी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। मृतक जगदेव सिंह पुत्र मेजरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त आश्यों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में वादी के दादा की वल्दियत मेजरसिंह के स्थान पर अजमेरसिंह गलत तौर से दर्ज है जिसे वादी सही तौर से मेजर सिंह दर्ज करवापाने का अधिकारी है तथा रोही मौजा चक 24 एनटी. आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में में जगदेवसिंह के स्थान पर जयदेवसिंह गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाकर जगदेवसिंह दर्ज करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार ोही मौजा चक 26 एन. टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि जगदेवसिंह पुत्र मेजरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदेव सिंह के नाम दर्ज है के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है वादी के पिता जगदेव सिंह का देहान्त हो चुका है जगदेव सिंह जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादीगण ने मुताबिक बाहमी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजीनामा के अनुसार वादी के पक्ष में अपना हक य हिस्सा का परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की ताददी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। मृतक जगदेव सिंह पुत्र मेजरसिंह का नाम कलमजन करवाकर वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त आश्यों की वादी घोषणा करापाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में वादी के दादा की वल्दियत मेजरसिंह के स्थान पर अजमेरसिंह गलत तौर से दर्ज है जिसे वादी सही तौर से मेजर सिंह दर्ज करवापाने का अधिकारी है तथा रोही मौजा चक 24 एनटी. आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में में जगदेवसिंह के स्थान पर जयदेवसिंह गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाकर जगदेवसिंह दर्ज किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो तरतीबी प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा जगदेव सिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37/37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक जगदेव सिह पुत्र अजमेर सिंह एवं रोही मौजा चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14/15 की कुल 36 किता की तादादी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि जगदेव सिह पुत्र मेजर सिंह के नाम दर्ज है, में मृतक जगदेव सिह पुत्र मेजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 145 / 2026
अनवान : –

1. परमिन्द्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भगु तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. करणजीत कौर उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी भागु तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।
3. लवईन्द्र कौर पुत्री जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी भागु तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 145 सन 2026 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 37 / 37 की कुल तादादी 0.4550 हैक्टर भूमि में 1 / 2 हिस्सा भूमि में मृतक जगदेव सिंह पुत्र अजमेर सिंह एवं रोही मौजा चक 24 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता सं. 14 / 15 की कुल 36 किता की ताददी 9.1080 हैक्टर भूमि में वादी 1 / 6 हिस्सा भूमि जयदेव सिह पुत्र मेजर सिंह के नाम दर्ज है, में मृतक जयदेव सिह पुत्र मेजर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर